

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर०)

दांडिक अपील क्रमांक: 76/2015

संस्थित दिनांक-04.03.2015

फाईलिंग नंबर-230303001472015

- छुन्नासिंह गुर्जर पुत्र सिकंदरसिंह गुर्जर
आयु 27 साल निवासी ग्राम बंकेपुरा तहसील
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अपीलार्थी / आरोपी

वि रूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री बी०एस० बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता

न्यायालय-एस०के० तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-523/2012 में घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 06.02.2015 से
उत्पन्न दांडिक अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 27 जून-2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

- अपीलार्थी / आरोपी छुन्ना गुर्जर की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री एस०के० तिवारी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 523/2012 में घोषित निर्णय दिनांक-06.02.2015 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / अपीलार्थी को धारा- 174(क) भा०द०सं० के अपराध में एक व दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
- प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी / अपीलार्थी छुन्नासिंह गुर्जर को जिस अप०क्र०-16/11 धारा-379 भा०द०सं० के अंतर्गत थाना गोहद में फरार घोषित किया गया था उस मूल चोरी के अपराध में आरोपी / अपीलार्थी जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री एस०के० तिवारी के न्यायालय में आरोपी / अपीलार्थी एवं संबंधित अपराध के परिवादी से समझौते के आधार पर दिनांक 07.04.14 को दोषमुक्त हो चुका है। यह भी निर्विवादित है कि आरोपी / अपीलार्थी छुन्नासिंह गुर्जर ग्राम बंकेपुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड का स्थाई निवासी है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक 24.01.12 को एन0सी0 यादव सहायक उपनिरीक्षक थाना गोहद द्वारा थाना गोहद के अप0क्र0-16/11 अंतर्गत धारा-379 भा0द0वि0 के आरोपी/अपीलार्थी छुन्नासिंह पुत्र सिकंदरसिंह गुर्जर निवासी बंके का पुरा के फरार होने की धारा-82 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई। आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये दिनांक 24.01.12 की तारीख पेशी नियत की गई। लेकिन नियत दिनांक को उद्घोषणा के क्रम में आरोपी/अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। आरोपी/अपीलार्थी द्वारा ऐसा करते हुए धारा-174(क) भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध घटित किया गया। इस संबंध में एन0सी0 यादव ए0एस0आई0 द्वारा थाना गोहद पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई जिस पर से अप0क्र0-26/12 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-174(क) भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उनका विचारण किया गया। विचारणोपरांत अपीलार्थी/आरोपी को धारा-174(क) भा0द0वि0 के अपराध में एक साल का सश्रम कारावास और 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व दण्डाज्ञा विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरसन योग्य है। प्रकरण में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या ही दर्शित होता है कि मामले में फरारी की उद्घोषणा प्रकाशन की समस्त कार्यवाही में धारा-82(1)(2) एवं (3) जा0फौ0 के प्रत्येक विधिक उपबंधों में विहित प्रक्रिया जो मेन्डेटरी नेचर की है, का पालन नहीं किया गया है। उद्घोषणा प्रकाशन की कार्यवाही उक्त धारा के प्रत्येक उपबंधों के अनुरूप ही की जाना अनिवार्य है जो नहीं की गई है जिसके अपालन की दशा में की गई समस्त कार्यवाही अवैधानिक होकर प्रारंभ से ही शून्य है। ऐसा आदेश या प्रक्रिया जो वैधानिक रूप से प्रारंभ से ही शून्य है। ऐसे किसी आदेश या प्रक्रिया के उल्लंघन के परिणामस्वरूप बाद में की गई समस्त दाण्डिक कार्यवाही अवैधानिक व बेकार होकर विधि की दृष्टि से शून्य ही होगी। इस तथ्य को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतः नजरअंदाज कर आपराधिक विधि शास्त्र के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ दण्डाज्ञा पारित करने में गंभीर कानूनी भूल की है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य व अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा-82(3) जा0फौ0 के उपबंध अनुसार उद्घोषणा प्रकाशन के दिन व दिनांक के संबंध में न्यायालय का ऐसा कोई लिखित कथन या लिखित आदेश पत्रिका प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि न्यायालय द्वारा इस तथ्य की संतुष्टि की गई थी कि उद्घोषणा का प्रकाशन उक्त कथित दिन व दिनांक का धारा-82(2) की उपधारा (i) क, ख, ग तथा (ii) जा0फौ0 में विहित अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाकर उसका पालन आई0ओ0 महोदय द्वारा किया गया है। उक्त लिखित कथन या आदेश पत्रिका ही एकमात्र इस तथ्य का निश्चयात्मक प्रमाण है कि धारा-82 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है। ऐसा कोई लिखित कथन या आदेश पत्रिका रिकॉर्ड में न होना इस बात का प्रमाण है कि उपरोक्त उपबंध का पालन नहीं हुआ

है। परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अवैधानिकता का नजर अंदाज कर न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये वगैर यांत्रिक रूप से कल्पना या कयास के आधार पर महज सरसरी रूप से यह मानकर कि एकमात्र न्यायालय के बाहर चस्पा कर उद्घोषणा का प्रकाशन अभियोजन द्वारा किया जाना ही समस्त उपबंधों का पालन होने का निश्चयात्मक प्रमाण है कि कानूनी उपबंधों एवं साक्ष्यों के विपरीत उपधारणा करके निर्णय व दण्डाज्ञा पारित करने में गंभीर भूल की है।

6. आरोपी/अपीलार्थी ने यह भी आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने लिखित कथन या आदेश पत्रिका से उद्घोषणा प्रकाशन के दिन व दिनांक को स्थापित नहीं किया है। इस दिन से तीस दिवस की अवधि का निर्धारण किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। तथा मामले में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि उद्घोषणा अपीलार्थी/आरोपी के ग्राम में किसी सार्वजनिक स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाकर सुनाई गई थी एवं उद्घोषणा का प्रकाशन न्यायालय के स्पष्ट आदेश तारीखी 19.12.11 के निर्देशानुसार दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित कराई गई थी। समाचार पत्र के प्रकाशन के संबंध में आई०ओ० द्वारा केवल यह मौखिक साक्ष्य दी गई है। ऐसा कोई समाचार पत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मौखिक साक्ष्य का कानूनन कोई मूल्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस के साक्षी जो हितबद्ध होकर उनकी साक्ष्य प्रथम दृष्ट्या ही संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय स्वरूप की है। स्वतंत्र साक्षियों के अभाव में केवल यह कहते हुए कि पुलिस की साक्ष्य त्यक्त नहीं की जा सकती है। प्रकरण में ऐसा कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट हो सके कि किस व्यक्ति अथवा किस ग्राम की चोरी से संबंधित धारा-379 भादवि के अपराध में अपीलार्थी की आरोपी के रूप में आवश्यकता है। साथ ही उद्घोषणा पत्रक प्र०पी०-6 में भी किसी अपराध का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि किस अपराध में उसकी आवश्यकता है। ऐसी अस्पष्ट एवं अपूर्ण उद्घोषणा स्वतः विधि विरुद्ध होने से अमान्य किये जाने योग्य है।

7. आरोपी/अपीलार्थी ने अपील में यह आधार भी लिया है कि वह ग्राम बंकेपुरा ग्राम पंचायत बड़ागर का रहने वाला व्यक्ति है उसका संबंध ग्राम एवं ग्राम पंचायत से है न कि नगर पालिका गोहद से। धारा-82 द०प्र०सं० के उपबंधानुसार अपीलार्थी के ग्राम एवं ग्राम पंचायत क भवन पर उद्घोषणा चस्पा की जानी चाहिए थी परन्तु आई०ओ० द्वारा नगर पालिका गोहद एवं बस स्टेण्ड गोहद स्थल पर उद्घोषणा धारा-82 द०प्र०सं० के उपबंधों के विपरीत चस्पा की जाना कथित किया है जिनका इस मामले से एवं अपीलार्थी के पते से कोई संबंध सरोकार नहीं है। तथा नगर पालिका बाबत प्र०पी०-1 तथा प्र०पी०-7 के मामले में असंगत होकर साक्ष्य में अग्राह्य है। आई०ओ० द्वारा सार्वजनिक रूप से जनता के समक्ष उद्घोषणा का न सुनाया जाना तथा समाचार पत्र में प्रकाशित न कराया जाना आदि तथ्यों से उनका आचरण संदिग्ध होकर आशय अविश्वसनीय होना प्रथम दृष्ट्या ही दृष्टव्य है। परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस साक्षी की ऐसी साक्ष्य जो अन्यथा विश्वसनीय नहीं थी उनकी साक्ष्य का उचित ढंग से निर्वचन न करते हुए मनमाने रूप से महज कल्पना व कयास के आधार पर अपीलार्थी/आरोपी को दोषसिद्ध ठहराने में भयंकर भूल की है।

8. आरोपी/अपीलार्थी ने अपील में यह भी आधार लिया है कि प्र०पी०-7 का पंचनामा चस्पा उद्घोषणा का बस स्टेण्ड पर चस्पा करने बाबत संलग्न है परन्तु इस

पंचनामा के किसी भी गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत न करने से अभियोजन के विरुद्ध धारा-114 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार विपरीत अवधारणा के अनुमान का सिद्धान्त लागू होता है। ऐसी दशा में जो उद्घोषणा ही विधि शास्त्र के अनुरूप प्रचलित व प्रकाशित नहीं की हुई है। न्यायशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी ने स्वयं फरियादी बनकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई है अथवा लिखी है तो उसी अधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरण में अन्वेषण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया है तो अन्वेषण प्रभावित होकर अवैधानिक एवं दोषपूर्ण है और इसी कारण से संपूर्ण विचारण ही दोषपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण में भी ऐसी ही अवैधानिक स्थिति स्पष्ट है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-4 का सूचनाकर्ता एन0सी0 यादव एसआई थाना गोहद ही है और अन्वेषणकर्ता भी श्री एन0सी0 यादव ही है। ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जो आलोच्य प्रकरण क्रमांक 523/12 इ0फौ0 संचालित हुआ है तो संपूर्ण विचारण ही विधि एवं विधान के विपरीत प्रक्रिया से संचालन होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। तथा प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें संपूर्ण रूप से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के कथन कराये गये हैं तथा किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन कहानी की संपुष्टि नहीं की गई है। अ0सा0-3 का स्वतंत्र साक्षी अ0सा0-2 प्रकाश जो प्राईवेट रूप से चौकीदारी करता है, उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। उसका पुलिस कथन प्र0पी0-3 के रूप में प्रदर्शित है उसमें स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसी कोई उद्घोषणा उसके सामने चस्था नहीं की गई है। अन्य साक्षी मानसिंह को प्रस्तुत ही नहीं किया गया है जिससे अभियोजन के खिलाफ विपरीत अवधारणा निकाली जायेगी। उक्त साक्षी मानसिंह को बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया है जिसने अभियोजन कहानी का कतई समर्थन नहीं किया है।

9. आरोपी/अपीलार्थी ने अपील में यह भी आधार लिया है कि न्यायालय के दरवाजे पर उद्घोषणा के साक्षी अ0सा0-1 नवलसिंह पुलिस आरक्षक ने उद्घोषणा चस्था पंचनामा बनाने का स्थान व समय निश्चित नहीं किया है एवं पूर्णतः संदिग्ध एवं अविश्वसनीय कथन दिया है तथा दूसरे साक्षी विनोद यादव को अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं किया है। उसे बचाव साक्षी के रूप में बचाव पक्ष ने ब0सा0-3 विनोद यादव के रूप में कथन कराया है। उसने अपने कथन में स्पष्ट रूप से इस बात से इन्कार किया है कि उसके सामने कोई भी उद्घोषणा आरोपी छुन्नासिंह की फरारी के बारे में नगर पालिका प्रांगढ़ में अथवा न्यायालय के दरवाजे पर उसके सामने चस्था की गई है बल्कि उसने कहा कि उसके हस्ताक्षर थाने पर कराये गये थे। इस कारण से तथाकथित उद्घोषणा स्वतः ही अवैधानिक होने से किसी भी दण्डाज्ञा का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अभियोजन द्वारा अपीलार्थी/आरोपी छुन्ना के संबंध में फरारी पंचनामा अथवा फरार होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। न ही आरोपी को उद्घोषणा की कोई जानकारी थी। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने व गलत रूप से निर्णय व दण्डाज्ञा पारित की है जो कि निरस्त कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

10. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में

विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

11. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील ज्ञापन में लिये गये आधार और उठाये गये बिन्दुओं के अनुसार अपने विस्तृत मौखिक तर्कों में यह बताया है कि धारा-82 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जो प्रक्रिया विहित की गई है वह आज्ञापक है और उसका पुलिस द्वारा कोई पालन नहीं किया गया है। जबकि उक्त प्रावधान के प्रत्येक अधिनियम का पालन अनिवार्य है जिसके अभाव में पूरी कार्यवाही अवैधानिक होकर दूषित हो जाने से शून्य हो जाती है। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में निष्कर्ष निकालते समय केवल इस बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित किया है कि पुलिस साक्षी पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। किन्तु धारा-82 द0प्र0सं0 की विहित प्रक्रिया के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा पारित कर गंभीर विधिक त्रुटि की है। प्रकरण में धारा-82 (2 व 3) द0प्र0सं0 के आज्ञापक प्रावधान का पालन नहीं है और इस आशय की कोई साक्ष्य नहीं है कि जारी की गई उद्घोषणा आरोपी/अपीलार्थी के ग्राम में किसी सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की गई है जिसे सार्वजनिक पढा और सुना गया हो। तथा तीस दिवस की जो उद्घोषणा के प्रकाशन के दिनांक से अवैध बताई गई है। उसके पश्चात न्यायालय का कोई लिखित आदेश उपकृषक की संतुष्टि बाबत पारित नहीं किया गया। कोई मुनादी आदि नहीं हुई। आदेशानुसार दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी नहीं हुआ न ही उसका कोई प्रमाण ही दिया गया है। उद्घोषणा चस्पा करने के जो प्रमाण पेश किये गये हैं वे भी विधिक नहीं हैं और ए0एस0आई0 एन0सी0 यादव प्रकरण का परिवादी और विवेचक दोनों हैं तथा स्वतंत्र साक्ष्य से कोई समर्थन नहीं है। गांव के चौकीदार का भी समर्थन नहीं है। जो बचाव साक्ष्य पेश की गई उसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। जबकि बचाव साक्ष्य को भी अभियोजन की भांति ही ग्रहण किया जाना चाहिए। आलोच्य निर्णय कल्पना और कयास पर आधारित होने से अपास्त किये जाने योग्य है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आरोपी/अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावे।

12. विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से असहमत होते हुए यह तर्क किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधिक रूप से सही और तथ्यों पर आधारित है। धारा-82 द0प्र0सं0 के तहत जो उद्घोषणा जारी की गई थी उसके पालन में आरोपी/अपीलार्थी संबंधित अपराध में उपस्थित नहीं हुआ। इससे धारा-174 (क) भा0दं0सं0 का अपराध पूर्णतः प्रमाणित है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व दोषसिद्धि और दण्डाज्ञा स्थिर रखे जाने योग्य है। इसलिये निरस्त की जावे।

13. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। अभियोजन का मामला धारा-82 द0प्र0सं0 के तहत जारी उद्घोषणा दिनांक 19.12.11 पर आधारित है कि उसके पालन में आरोपी/अपीलार्थी संबंधित अपराध में समर्पित नहीं हुआ। इसलिये धारा-174(क) भा0दं0सं0 का अपराध बनता है।

14. धारा-82 द0प्र0सं0 के मुताबिक— **फरार व्यक्ति के लिये उद्घोषणा—**

(1) यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिये बिना) यह विश्वास

करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता हो तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात का होगा, हाजिर हो।

(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जायेगी:—

(i)(क) वह उस नगर या ग्राम के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जावेगी।

(ख) वह उस गृह या वास स्थान के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जायेगी,

(ग) उसकी एक प्रति न्यायसदन के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाई जायेगी,

(i i) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निदेश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में, परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाये जहाँ ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है।

(3) उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्टदिन उपधारा (2) के खण्ड (ब) में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है, और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449 एवं 460 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जसी वह ठीक समझता है, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है और उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं।

15. धारा-174-क भा0दं0सं0 के मुताबिक— **174-क 1974 का अधिनियम 2 की धारा-82 के तहत किसी उद्घोषणा के उत्तर में अनुपसंजाति**— जो कोई दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-82 की उपधारा(1) के तहत प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा यथा अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर उपसंजात होने में विफल होता है, को ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन वर्षों तक विस्तारित की जा सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा और जहाँ उसको उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित करते हुए उस धारा की उपधारा (4) के तहत कोई उद्घोषणा की गई है तो उसको ऐसी अवधि के कारावास, जो सात वर्षों तक विस्तारित की जा सकेगी, से दण्डित किया जायेगा और वह जुर्माने के लिये उत्तरदायी होगा।

16. धारा-174-क भा0दं0सं0 का प्रावधान द0प्र0सं(संशोधन) अधिनियम 2005(2005 का अधिनियम संख्या 25) की धारा-44(ख) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है जो दिनांक 23.06.06 से प्रभावशील किया गया है जिसमें मूलतः यह प्रावधान है कि धारा-82(1)द0प्र0सं0 1973 के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार विनिर्दिष्ट स्थान व समय पर उपस्थित न होने पर अपराध बनेगा। इस मामले में यह

निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी/अपीलार्थी छुन्नासिंह गुर्जर पर धारा-379 भा0दं0सं0 के तहत चोरी का अप0क्र0-16/11 पंजीबद्ध हुआ था। अभियोजन की ओर से उद्घोषणा के अपालन को प्रमाणित करने के लिये जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उसका समग्र रूप से मूल्यांकन करते हुए यह देखना होगा कि क्या धारा-82 द0प्र0सं0 के उपबंध का अनुसरण किया गया है और क्या आज्ञापक प्रक्रिया का पालन किया गया था तभी धारा-174-क भा0दं0सं0 के तहत अपराध की प्रमाणिकता निश्चित हो सकती है।

17. द0प्र0सं0 1998 के स्थान पर द0प्र0सं0-1973 लागू की गई है। पुरानी द0प्र0सं0 की धारा-87 में उद्घोषणा के संबंध में जो प्रावधान था, उसे ही वर्तमान द0प्र0सं0 1973 की धारा-82 में उपबंधित किया गया है। जैसा कि उपरोक्तानुसार उल्लेख किया गया है और धारा-92 द0प्र0सं0 के उपबंध का उद्देश्य जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध होता है उसमें उपस्थित न होने पर उसे उपस्थिति हेतु बाध्य किये जाने हेतु किया गया है जिसमें फरार होने की दशा में उसकी संपत्ति की कुर्की धारा-82 द0प्र0सं0 की पालना होने पर धारा-83 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

18. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण स्तर पर अभियोजन की ओर से मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई तथा बचाव पक्ष की ओर से भी मौखिक साक्ष्य पेश की गई है और बचाव साक्ष्य के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि बचाव साक्षी को भी अभियोजन साक्षी की भांति ही ग्रहण किया जाना चाहिए। बचाव साक्षी पर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रस्तुत किय गया है। अर्थात् प्रतिरक्षा साक्षी की साक्ष्य का भी उतना ही महत्व है जितना कि अभियोजन साक्षी को दिया जाता है। जैसा कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **केशरदान विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2005(3)एम0पी0एल0जे0 पेज-550** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये तीनों बचाव साक्षी जिसमें रामप्रवेश गुर्जर ब0सा0-1, मानसिंह ब0सा0-2 एवं विनोदसिंह यादव ब0सा0-3 हैं, उनकी साक्ष्य को देखना होगा।

19. प्रकरण में सर्वाधिक महत्व के साक्षी पंजीबद्ध अपराध के परिवादी और विवेचक रह ए0एस0आई0 एन0सी0 यादव अ0सा0-3 हैं जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि आरोपी/अपीलार्थी छुन्नासिंह गुर्जर के विरुद्ध पंजीबद्ध अप0क्र0-16/11 धारा-379 भा0दं0सं0 में फरार होने से जे0एम0एफ0सी0 गोहद के द्वारा धारा-82 द0प्र0सं0 के तहत दिनांक 19.12.11 को उद्घोषणा जारी की गई थी और आरोपी की उपस्थिति हेतु दिनांक 24.01.12 की तिथि नियत की गई किन्तु नियत दिनांक को न तो आरोपी पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ न ही न्यायालय में उपस्थित हुआ। जिसके कारण उसके विरुद्ध धारा-174 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अप0क्र0-26/11 दर्ज कर प्र0पी0-4 की एफ0आई0आर0 उसके विरुद्ध पंजीबद्ध की गई थी और विवेचना की गई थी जिसमें उसने न्यायालय का इस संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.12.11 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-5, जारी उद्घोषणा प्र0पी0-6, उद्घोषणा की पालना के संबंध में साक्षी प्रकाश गुर्जर एवं आरक्षक नवलसिंह भदौरिया के कथन लेखबद्ध करना बताते हुए उद्घोषणा चस्पा करने के प्रमाण में प्र0पी0-1 का पंचनामा न्यायालय के मुख्य दरवाजे एवं नगर पालिका के प्रांगढ़ में चस्पा किये जाने बाबत प्र0पी0-2 का पंचनामा आरोपी छुन्नासिंह गुर्जर के मकान पर चस्पा किये जाने बाबत तैयार करना बताया है और इस आधार पर धारा-82 द0प्र0सं0 के प्रावधान की पालना हो जाने की साक्ष्य दी है।

20. उक्त साक्षी का समर्थन करते हुए आरक्षक नवलसिंह भदौरिया अ0सा0-1 ने अपनी उपस्थिति में उक्त उद्घोषणा का इश्तिहार चस्पा किये जाने और उसका प्र0पी0-1 का पंचनामा तैयार किये जाने की साक्ष्य दी है और यह कहा है कि न्यायालय के बाहर व

नगर पालिका कार्यालय में इशतिहार उसके समक्ष किया गया था किन्तु प्र०पी०-२ के पंचनामा के संबंध में चौकीदार प्रकाश अ०सा०-२ ने समर्थन नहीं किया है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी किसी केस में फरार हो गया था जिसके संबंध में उससे पूछताछ की गई और पंचनामा प्र०पी०-२ फरारी के संबंध में बनाया गया। प्र०पी०-३ का उसने पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है और प्र०पी०-२ के पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर फर्जी बताये हैं और यह कहा है कि वह तो अंगूठा लगाता है तथा उसके सामने आरोपी के मकान पर न्यायालय द्वारा जारी कोई उद्घोषणा चस्पा नहीं हुई। उसका यह भी कहना रहा है कि जिस वक्त की घटना बताई जा रही है उस समय आरोपी छुन्ना ग्राम जनकपुरा में रामप्रवेश के यहाँ रहता था और ट्रक पर क्लीनरी का काम करता था। जनकपुरा उसने जिला धौलपुर और मुरैना के बॉर्डर पर होना बताया है। इस तरह से अ०सा०-२ के द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है।

21. उपरोक्त बिन्दु पर रामप्रवेश गुर्जर ब०सा०-१ के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अ०सा०-२ की तरह दी गई साक्ष्य का समर्थन करते हुए यह बताया है कि आरोपी छुन्ना उसके यहाँ अक्टूबर-२०११ से मार्च २०१२ के मध्य उसके ट्रक पर क्लीनरी का काम करता था और उसके साथ ट्रक पर चलता था। जो ट्रक के साथ आंध्रप्रदेश, गोआ, कर्नाटक, महाराष्ट्र व दिल्ली आता जाता था और ट्रक लौटने पर तीन चार दिन ग्राम जनकपुरा में ही रुकते थे। छुन्ना उसके घर पर ही एक अक्टूबर-२०११ के पूर्व रहता था। यह भी स्वीकार किया है कि छुन्ना रिश्ते में उसका जीजा लगता है जो मार्च २०१२ के बाद उसके यहाँ नहीं रहा। अक्टूबर के पहले वह मनीसर हरियाणा में दूध के प्लांट पर काम करता था। उसने यह स्वीकार किया है कि जनवरी से मार्च २०१२ और दिसंबर-२०११ में आरोपी बंकेपुरा में नहीं रहा बल्कि उसके पास रहा और केस के संबंध में आरोपी से उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। ब०सा०-१ का यह खण्डन नहीं है कि आरोपी/अपीलार्थी ग्राम बंकेपुरा का निवासी नहीं है। स्वयं आरोपी/अपीलार्थी ने धारा-३१३ द०प्र०सं० के तहत हुए परीक्षण में भी अपना पता ग्राम बंकेपुरा थाना गोहद का ही बताया है जिससे इस बात की पुष्टि तो हो जाती है कि वह ग्राम बंकेपुरा का स्थाई निवासी है। जहाँ तक दिसंबर-२०११ से मार्च २०१२ की अवधि का उसके ग्राम जनकपुरा में रामप्रवेश के यहाँ रहने का प्रश्न है, इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है और रामप्रवेश ब०सा०-१ की आरोपी से हितबद्धता है क्योंकि वह उसका निकट संबंधी होकर रिश्ते में बहनोई लगता है। कब, कहाँ साथ में रहा, यह स्थिति ब०सा०-१ से स्पष्ट नहीं होती है। इसलिये ब०सा०-१ के अभिसाक्ष्य से यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी/अपीलार्थी प्रश्नगत अवधि में ग्राम बंकेपुरा का निवासी नहीं था। पुलिस को भी ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई कि आरोपी बंकेपुरा छोड़कर जनकपुरा मुरैना में रहने लगा हो। इसलिये ब०सा०-१ की साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। हालांकि चौकीदार प्रकाश अ०सा०-२ अर्जुन कॉलोनी वार्ड नंबर-२ गोहद का निवासी है अर्थात् वह बंकेपुरा का नहीं है और उसके द्वारा कोई समर्थन भी नहीं किया गया है बल्कि उसने प्र०पी०-२ के पंचनामे पर भी संदेह प्रकट किया है। ऐसे में धारा-८२ द०प्र०सं० के तहत जारी उद्घोषणा की प्रक्रिया अनुसार पालना हुई या नहीं हुई, यह सूक्ष्मता से अ०सा०-१ व ३ के अभिसाक्ष्य के आधार पर मूल्यांकित करना होगा। क्योंकि आरक्षक अजयसिंह बघेल अ०सा०-४ मात्र आरोपी की प्र०पी०-८ द्वारा की गई गिरफ्तारी का साक्षी है जो थाने पर हुई। गिरफ्तारी निर्विवादित है और गिरफ्तारी से अपराध प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये अ०सा०-४ और प्र०पी०-८ के अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

22. आरक्षक नवलसिंह अ०सा०-१ प्र०पी०-१ के पंचनामे का ही साक्षी है, जो पंचनामा इस आशय का तैयार किया जाना अ०सा०-३ विवेचक द्वारा बताया गया है कि उद्घोषणा

न्यायालय के मुख्य दरवाजे पर और नगर पालिका के प्रांगढ़ में विधिवत चस्पा की गई थी। किन्तु अ0सा0-1 को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उद्घोषणा की कार्यवाही के पूर्व क्या कार्यवाही हुई थी। उसके मुताबिक फरारी पंचनामा न्यायालय में ही ए0एस0आई0 एन0सी0 यादव द्वारा बनाया गया था किन्तु फरारी पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर नहीं हुए थे। अभिलेख पर कोई फरारी पंचनामा साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। अ0सा0-1 के मुताबिक धारा-82 की उद्घोषणा का प्रारूप न्यायालय में ही तैयार हुआ था और उस समय वह न्यायालय में कोर्टमुंशी के रूप में कार्य करता था। तथा न्यायालयीन समय में न्यायालय में ही वह रहता था और कार्य करता था। न्यायालय में अनेक लोगों का आना-जाना, भीड़भाड़ होना, अन्य स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति होना वह स्वीकार करता है और यह भी कहता है कि उसके और विनोद के अलावा किसी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये थे। उसे यह भी पता नहीं है कि प्र0पी0-1 का पंचनामा उद्घोषणा के कितने समय पहले या बाद में बनाया गया तथा उद्घोषणा किसी निश्चित स्थान पर चस्पा की गई। वह प्र0पी0-1 के पंचनामा वाले दिनांक को पुलिस द्वारा कोई पूछताछ किये जाने से इन्कार करता है। उद्घोषणा का प्रारूप तैयार करने तथा चस्पा करने का पंचनामा तैयार करने में वह लगभग डेढ़ दो घण्टे का समय लगाना और उस दौरान वह उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय में ही उपस्थित होना बताता है। उसका यह भी कहना रहा है कि नगर पालिका गोहद में उद्घोषणा प्रकाशित करने का अलग से कोई पंचनामा नहीं बनाया था और नगर पालिका में भी कर्मचारियों अधिकारियों के अलावा आम जनता का आना जाना बना रहना वह स्वीकार करता है। उसे यह जानकारी भी नहीं है कि नगर पालिका के किस नोटिस बोर्ड पर उद्घोषणा चस्पा की गई है बल्कि वह नगर पालिका के बाहर बाउण्ड्री पर दरवाजे पर उद्घोषणा चस्पा करना बताता है।

23. अभियोजन की ओर से प्र0पी0-1 के पंचनामा के दूसरे साक्षी मानसिंह को पेश नहीं किया गया है बल्कि मानसिंह ब0सा0-2 के रूप में परीक्षित हुआ है और उसने इस बात से स्पष्ट तौर पर इन्कार किया है कि आरोपी छुन्ना के मकान पर कोई उद्घोषणा चस्पा की गई या छुन्ना को पुलिस गांव में तलाशने गई। उसने भी प्रकाश अ0सा0-2 की तरह प्र0पी0-2 के पंचनामे का कोई समर्थन नहीं किया है। यह अवश्य स्वीकार किया है कि आरोपी छुन्ना परिवार सहित ग्राम बंकेपुरा में ही रहता है जो उसका भतीजा है। लेकिन वह गांव नाते भतीजा लगना बताता है और यह भी कहता है कि दिसंबर-2011 से जनवरी-2012 में वह गांव में नहीं रहा।

24. इस प्रकार से प्र0पी0-2 के पंचनामा जिसके मुताबिक आरोपी के मकान पर उद्घोषणा के चस्पा करने की बात विवेचक एन0सी0 यादव के द्वारा कही गई, उसका कोई समर्थन पंच साक्षियों द्वारा नहीं किया गया है। इसलिये यह देखना होगा कि क्या प्र0पी0-2 की पुष्टि अ0सा0-3 के अभिसाक्ष्य से होती है। क्योंकि प्र0पी0-1 का पंचनामा जिसमें कोई समय का उल्लेख नहीं है तथा न्यायालय के मुख्य दरवाजे पर व नगर पालिका के प्रांगढ़ में धारा-82 द0प्र0सं0 की उद्घोषणा चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है जिसके संबंध में कोई रोजनामचासाह्वा भी पेश नहीं है।

25. प्र0पी0-1 के पंचनामा को देखा जाये तो उसके मुताबिक दो भिन्न भिन्न स्थानों पर उद्घोषणा चस्पा करना बताया गया है। किन्तु न्यायालय के मुख्य दरवाजे पर कब उद्घोषणा चस्पा हुई, नगर पालिका के प्रांगढ़ में कब चस्पा की गई, ऐसा उसमें कोई विवरण नहीं है और न्यायालय परिसर और नगर पालिका परिसर के मध्य की दूरी 7 किलोमीटर होना स्वयं विवेचक एन0सी0 यादव अ0सा0-3 ने पैरा-3 में बताई है और यह स्वीकार करता है कि अलग-अलग समय में दोनों जगह उद्घोषणा चस्पा की गई थी

जिसके समय का उल्लेख पंचनामा में नहीं है। दो भिन्न स्थानों का पंचनामा एक ही तैयार करना जहाँ उचित नहीं हैं वहीं दूसरी ओर समय का उल्लेख न होने से तथा प्र०पी०-1 का समर्थन पार्षद विनोदसिंह यादव ब०सा०-3 के द्वारा न किये जाने से संदेह उत्पन्न होता है और विवेचक अपने अभिसाक्ष्य में यह बताने में असमर्थ रहा है कि उसने कितनी बार कहाँ उद्घोषणा चस्पा की। ऐसे में प्र०पी०-1 को अ०सा०-1 व 3 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है क्योंकि अ०सा०-1 ने अपना कार्य स्थल न्यायालय में कोर्टमुंशी के रूप में बताया है। अर्थात् वह पूरे समय न्यायालय में ही कार्य दिवस में रहता था। ऐसे में उसका नगर पालिका परिसर जाना ही संदिग्ध हो जाता है और विवेचक ने अपने अभिसाक्ष्य में नगर पालिका के किस स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि अ०सा०-1 बाउण्ड्री के बाहर उद्घोषणा चस्पा करना मौखिक साक्ष्य में बताता है। प्र०पी०-1 में नगर पालिका प्रांगण में उद्घोषणा चस्पा करने का उल्लेख है जो संदेह उत्पन्न करती है।

26. पार्षद विनोदसिंह ब०सा०-3 के द्वारा उसका समर्थन न करते हुए आरोपी/अपीलार्थी का समर्थन किया है। पार्षद विनोद के संबंध में यह स्थिति भी स्पष्ट हुई है कि वह थाने पर आता जाता है। जैसा कि स्वयं विवेचक स्वीकार करता है तथा विनोद ब०सा०-3 अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी०-1 पर बिना पढे दरोगा जी के विश्वास पर हस्ताक्षर कर देना कहता है जिससे उद्घोषणा की चस्पानगी के संबंध में अभिलेख पर सुदृढ़ साक्ष्य का अभाव है तथा प्र०पी०-1 व 2 के पंचनामा को विवेचक अ०सा०-3 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उसने अपनी चस्पा करने संबंधी कार्यवाही संबंधी कोई भी रोजनामचासान्हा पेश नहीं किया है जो उसकी विश्वसनीयता को बल देता। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष अवश्य विधि अनुकूल है कि किसी भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी के अभिसाक्ष्य पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह पुलिस साक्षी है। किन्तु पुलिस साक्षी के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहों से परे स्थापित होना आवश्यक है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष भी विधि अनुकूल है कि जिस पुलिस अधिकारी के द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज की जाती है और मौके पर कार्यवाही की जाती है तथा अभियोग पेश किया जाता है तो उसके आधार पर उसकी साक्ष्य अग्राह्य नहीं होगी। चूंकि मामला उद्घोषणा के अपालन पर से उत्पन्न हुआ है। यह विशिष्ट तरह का प्रावधान है। ऐसे में परिवादी और विवेचक एक ही पुलिस अधिकारी होने से तो प्रक्रिया दूषित नहीं मानी जा सकती है और न ही इस आधार पर अ०सा०-3 की अभिसाक्ष्य अग्राह्य हो सकती है। लेकिन ब०सा०-3 द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को स्थापित करना आवश्यक है तभी उसकी अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय मानकर दोषसिद्धि को स्थिर रखा जा सकता है। जबकि उद्घोषणा चस्पानगी के संबंध में उसकी साक्ष्य प्रबल है और पंच साक्षियों से उसका समर्थन नहीं है।

27. जहाँ तक धारा-82 द०प्र०सं० के उपबंध में बताई गई प्रक्रिया को देखा जाये तो उक्त प्रावधान धारा-82 द०प्र०सं० की उपधारा-1 के तहत जो उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है उसे उपधारा-2 मुताबिक उस निवास स्थान पर जिसमें वह व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता हो, उस पर या नगर या ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करना आवश्यक है जिससे कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ सके। अर्थात् सहज दृश्य स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की जानी चाहिए और उद्घोषणा की एक प्रति न्यायालय के सदन के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा की जानी चाहिए। उपधारा (iii) के तहत न्यायालय यदि उचित समझता है तो दैनिक समाचार पत्र में भी उसकी उद्घोषणा का आदेश कर सकता है। विचाराधीन मामले में प्र०पी०-5 का जे०एम०एफ०सी० गोहद का जो धारा-82 द०प्र०सं० की उद्घोषणा के संबंध में दिनांक 19.12.11 को आदेश प्रसारित किया था उसमें यह

स्पष्ट आदेश था कि आरोपी के फरार होने के संबंध में उद्घोषणा को आरोप के ज्ञात पतों पर चस्पा किया जाये। न्यायालय के बाहर भी एक प्रति चस्पा की जावे। तथा दैनिक भास्कर समाचार पत्र में भी उद्घोषणा का प्रकाशन कराया जावे। जिसमें इस बात का विशेष उल्लेख किया जाता है कि यदि आरोपी तीस दिवस के अंदर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कुर्क होगी और धारा-74-क द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

28. धारा-82 (2)(iii) के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में उद्घोषणा के प्रकाशन का आदेश किया गया था किन्तु अभिलेख पर दैनिक भास्कर समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में पेश नहीं की गई है। इसके संबंध में मौखिक साक्ष्य में विवेचक एन0सी0 यादव अ0सा0-3 के द्वारा यह बताया गया है कि धारा-82 द0प्र0सं0 की कार्यवाही का प्रकाशन उसने समाचार पत्रों में कराया था लेकिन कौनसे समाचार पत्र में कराया, यह भी नहीं बताया है। दैनिक भास्कर समाचार पत्र में कराया हो, ऐसा न तो दस्तावेजी प्रमाण है न ही मौखिक साक्ष्य है। जबकि धारा-82(1)द0प्र0सं0 के तहत उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय का यह स्पष्ट आदेश भी था कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में उद्घोषणा प्रकाशित कराई जावे जिसका स्पष्टतः उल्लंघन अभियोजन द्वारा किया जाना परिलक्षित होता है।

29. उक्त प्रावधान मुताबिक आरोपी के मामूली तौर पर निवास स्थलों पर उद्घोषणा चस्पा होना आवश्यक है जिसके संबंध में मौखिक साक्ष्य मुताबिक उद्घोषणा आरोपी के मकान पर ग्राम बंकेपुरा में चस्पा किये जाने का पंच साक्षियों से जहाँ एक ओर समर्थन नहीं है, वहीं प्र0पी0-2 के पंचनामा में उद्घोषणा कब चस्पा की गई, इसका उल्लेख नहीं है। केवल विवेचक अ0सा0-3 के बी से बी भाग पर जो हस्ताक्षर हैं, उसके नीचे दिनांक 20.12.11 अवश्य अंकित है। यदि ऐसा माना जावे कि उद्घोषणा 20.12.11 को उसने चस्पा की तो उसके संबंध में भी रोजनामचासान्हा पेश किया जाना चाहिए था जो पंच साक्षियों के समर्थन न करने की दशा में मौखिक साक्ष्य को बल देता। जबकि ऐसा नहीं हुआ। प्र0पी0-5 के आदेश मुताबिक आरोपी के गलत पतों पर उद्घोषणा चस्पा की जानी थी अर्थात् आरोपी के एक से अधिक पते हो सकते थे। अभिलेख पर इस आशय की साक्ष्य भी है कि जिस समय की उद्घोषणा बताई जा रही है उस समय वह ग्राम बंकेपुरा में न होकर जनकपुरा मुरैना में मामूली तौर पर रह रहा था। किन्तु वहाँ उद्घोषणा चस्पा नहीं हुई। हालांकि विवेचक को बंकेपुरा रहने की जानकारी किस माध्यम से लगी है, ऐसा भी प्रमाण नहीं है। किन्तु आरोपी के मकान पर, सहज दृश्य स्थान पर उद्घोषणा चस्पा करने का जो प्र0पी0-2 का पंचनामा बनाया गया उसमें ऐसा भी उल्लेख नहीं किया गया है कि आरोपी के मकान पर कोई अन्य व्यक्ति निवासरत पाया गया या नहीं या ताला पड़ा था। जबकि जो बचाव साक्ष्य आई है उसमें आरोपी/अपीलार्थी का सपरिवार ग्राम बंकेपुरा रहना बताया गया है। जिन साक्षियों के समक्ष प्र0पी0-2 मुताबिक उद्घोषणा चस्पा करना बताया है उन्होंने समर्थन नहीं किया है। इससे धारा-80(2)(i)(ख) द0प्र0सं0 का पालन होना भी उक्त स्थिति में नहीं पाया जाता है।

30. धारा-82 द0प्र0सं0 की जो उद्घोषणा चस्पा होनी थी जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्र0पी0-6 के रूप में पेश की गई है, उसके संबंध में वैधानिक स्थिति देखी जाये तो उक्त उद्घोषणा आरोपी को न्यायालय के समक्ष किये गये परिवाद का उत्तर देने हेतु दिनांक 24 जनवरी-2012 न्यायालय गोहद जिला भिण्ड में दिन के 11.00 बजे उपस्थित होने का स्थान व समय निश्चित किया गया था। दिनांक 24.01.12 की आदेश पत्रिका प्र0पी0-5 के साथ ही प्रस्तुत की गई है जिसमें केवल इतना उल्लेख है कि आरोपी छुन्ना के बारे में जारी धारा-82 द0प्र0सं0 का नोटिस वापिस प्राप्त। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु

दिनांक 13.02.12 निश्चित किया गया। अर्थात् न्यायालय का धारा-82(3)द0प्र0सं0 के तहत जो उद्घोषणा जारी की गई थी उसकी उद्घोषणा उपधारा-2 के तहत विहित प्रक्रिया के अनुरूप किया जा चुका है। जबकि उक्त प्रावधान आज्ञापक स्वरूप का है कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन दिया जाता है कि जारी उद्घोषणा सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उक्त धारा में आदेशिकाओं का अनुपालन कर दिया गया है अर्थात् उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय का संतुष्टि संबंधी आदेश होने पर अन्य साक्ष्य गौण हो जायेगी। किन्तु इस मामले में उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय का ऐसा कोई आदेश पेश नहीं किया गया है जो धारा-82 (3) द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रसारित किया गया हो। इसलिये जारी उद्घोषणा सम्यक रीति से प्रकाशित कर दी गई हैं, ऐसा उपधारित नहीं किया जा सकता है।

31. इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **ए0आई0आर0 1958 राजस्थान पेज-167 विरददान विरुद्ध स्टेट** में दिया गया मार्गदर्शन अवलोकनीय है जिसमें उद्घोषणा संबंधी उक्त प्रावधान आज्ञापक स्वरूप का बताया गया है। और न्याय दृष्टांत द0प्र0सं0 1898 की धारा-87 पर आधारित है। वही प्रावधान द0प्र0सं0 1973 में धारा-82 द0प्र0सं0 के रूप में किया गया है इसलिये वह प्रकरण में प्रायोज्य होगा। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा-82(3) द0प्र0सं0 1973 के आज्ञापक आदेश का पालन प्रकरण में नहीं हुआ है। इसलिये धारा-174-क भा0दं0सं0 का अपराध आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा कारित किया जाना विधिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। ऐसे में एन0सी0 यादव अ0सा0-3 की मौखिक साक्ष्य दुर्बल होकर अपराध को प्रमाणित करने के लिये अपर्याप्त है। जबकि उसका महत्वपूर्ण साक्षियों ने कोई मौखिक रूप से समर्थन भी नहीं किया।

32. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचक एन0सी0 यादव अ0सा0-3 को इस बात की भी जानकारी है कि यदि अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही की जाती है तो उनके अलग-अलग पंचनामा बनाये जाते हैं। जैसा कि पैरा-4 में वह स्वीकार करता है। जो उसके द्वारा न्याय सदन और नगर पालिका परिषद के प्रांगण का एक ही पंचनामा बनाया जिसका कोई भी कारण उसने स्पष्ट नहीं किया। दूसरी ओर यदि प्र0पी0-5 के उद्घोषणा संबंधी आदेश को देख जाये तो उसमें ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं था कि नगर पालिका प्रांगण या बस स्टेण्ड पर उद्घोषणा की चस्पानगी की जाये। जबकि प्र0पी0-7 का पंचनामा इस आशय का बनाया गया कि दिनांक 20.12.11 को दिन के साढ़े दस बजे धारा-82 द0प्र0सं0 के तहत न्यायालय की जारी उद्घोषणा जो आरोपी छुन्ना गुर्जर के संबंध में प्रकाशित की गई थी उसे बस स्टेण्ड गोहद पर चस्पा किया गया। बस स्टेण्ड गोहद पर कहाँ चस्पा किया, ऐसा स्पष्ट नहीं है और उसके लिये कोई आदेश भी नहीं था। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय का जो आदेश था उसका समुचित रूप से और सम्यक रीति से कोई पालन नहीं किया गया। विवेचक ने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर उद्घोषणा चस्पानगी की और दैनिक समाचार पत्र में कोई प्रकाशन आदेश होने के बावजूद प्रकाशन नहीं कराया। ऐसे में उसकी मौखिक साक्ष्य विधिक बल नहीं रखती है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय में निकाला गया निष्कर्ष कि धारा-174-क भा0दं0सं0 का अपराध आरोपी/अपीलार्थी छुन्ना गुर्जर के विरुद्ध संदेह से प्रमाणित होता है वह पुष्टि योग्य नहीं है।

33. फलतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 06.02.15 अपास्त करते हुए आरोपी/अपीलार्थी छुन्ना गुर्जर को धारा-174-क भा0दं0सं0 के अपराध

के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

34. आरोपी/अपीलार्थी की ओर से अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

35. प्रकरण में निराकरण हेतु कोई संपत्ति जप्त नहीं है।

36. अधीनस्थ न्यायालय में आरोपी/अपीलार्थी द्वारा जमाशुदा अर्थदण्ड 2000/-रूपये अपील/निगरानी अवधि उपरान्त विधिवत वापिस किया जावे। अपील/निगरानी होने पर माननीय अपील/निगरानी न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

37. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक:—27.06.2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)